न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 425/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
देवाराम पुत्र लादूराम जाति माली निवासी– सोयला तहसील बावडी जिला जोधपुर		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बावडी के आदेश दिनांक 8.05.2019 जो राजस्व प्रार्थना पत्र कमांक राज/557 अनवान तहसीलदार बनाम देवाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल बिश्नाई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 की की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12 सितम्बर,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बावडी के द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सोयला में जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने व नक्शे में दर्ज खसरों का वन–टू–वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शें मे भिन्नता आ रही है तथा एक खातेदार के खसरा नम्बर में एक से अधिक जगह कब्जा है जबकि जमाबन्दी में एक ही बटटा नम्बर डाला हुआ है। विभाजन में प्राप्त एवं जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर से भिन्न नम्बर में कब्जा है, उन खाते तथा खसरों नम्बरों को क्लीयर करने हेतु नक्शा दुरूस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

जिस पर ग्राम सोयला के ख0सं0 401, 401/3, 401/2, 402, 403 जिनका कुल क्षेत्रफल 29.15 बीघा है जो अपीलार्थी के खातेदारी में आये हुए थे। उक्त वर्णित भूमि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 27.12.2017 के अनुसरण में नामा0 संख्या 2409 दर्ज किया जाकर दिनांक 29.01.2018 को स्वीकृत किया गया जिसके जरिये उक्त खसरा भूमि को अपीलान्ट की एकल खातेदारी में दर्ज किया गया था।

उक्त खसरान भूमि को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8.5.2019 के जरिये संयुक्त खातेदारी में खसरा संख्या 401 किये जाने आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी के द्वारा यह अपील न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांटस ने अपील मीमो में वर्णित ...

किया कि उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 131, 136 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है। उक्त आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। जिसमें बिना कोई विधिक कारण दर्शाये पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया, जिसके कारण अपीलान्ट अपना पक्ष उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके, जो अपीलार्थी के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अवसर के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त खसरान भूमि अपीलार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि थी जो अब संयुक्त खातेदारी की कर दी गई। तहसीलदार एवं पटवारी हल्का के द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण किये बिना ही प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी की भूमि एकल खातेदारी भूमि को संयुक्त खातेदारी कर दिये जाने से उसे अपने हक–हिस्से से वंचित होना पडेगा। अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी तब ज्ञात हुई जब उसके द्वारा दिनांक 25.7.22 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की जिसमें मूल खसरा गायब पाया गया तब बावडी आकर नकले प्राप्त करते हुए अपील तैयार की जाकर अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, बावडी की ओर से धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे ग्राम सोयला की उपरोक्त खसरान भूमि को संयुक्त खातेदारी की दर्ज किये जाने बाबत कथन किये जाने पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2019 को पारित किया है वो उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 8.05.2019 का अवलोकन किया तथा बहस के दौरान अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित किये गये कथनों के अनुसार नामा0 संख्या 2409 स्वीकृति दिनांक 29.01.2018 का अवलोकन किया गया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के अपील/टी0ए./291/2009/जोधपुर में निर्णय दिनांक 27.12.2017 का हवाला देते हुए उक्त खसरा संख्या 401, 401/2, 401/3, 402 व 403 कुल रकबा 29.15 बीघा रकबा भूमि को काश्तकार क्रमशः देवाराम पिता लादूराम, ज्यानी बेवा श्रीराम, मिश्रीलाल, पुखराज पिता जसाराम जाति माली सा0देह खातेदार का खाता नामा0 संख्या 206 के जरिये अपीलान्ट के पक्ष में एकल खातेदारी में देवाराम पिता लादूराम जाति माली

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य के दौरान तहसीलदार बावडी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अपने आदेश दिनांक 8.5.2019 के जरिये अपीलान्ट देवाराम के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों की संयुक्त खातेदारी दर्ज कर दी गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस प्रकार का अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने सें पूर्व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों/विधि की अनदेखी करते हुए बिना पक्षकारान को किसी प्रकार का सुनवाई व अपना पक्ष रखे का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना जाता प्रतीत होता है। मात्र तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय निर्णय लेते हुए रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने के आदेश करते हुए अपीलान्ट की एकल खातेदारी की भूमि को संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है जिसे विधि अनुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इन आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने योग्य होने एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12 सितम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर